न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1848–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–07–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–278/अपील/02–03

.....

रामविशाल तनय सूर्य प्रसाद जायसवाल
निवासी–ग्राम सखौंहॉ, तह0 सिंगरौली
जिला–सीधी, म0प्र0

———आवेदक

वि रुद्ध

1–मुसम्मात अमारू बेवा पत्नी जनकलाल साहू
2–राज लाल
3–माधव
4–सियाराम
5–सियाशरण, पुत्रगण जनकलाल साहू
6–मेवालाल तनय बंधू साहू,
निवासी–ग्राम सखौंहॉ, तह0 सिंगरौली
जिला–सीधी, म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 278/अपील/02–03 पारित आदेश दिनांक 30–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम सखौहा स्थित विवादित भूमि खसरा क्रमांक 227 रकबा 0.41 है0 पर आवेदक द्वारा कब्जा दर्ज कराने हेतु नायब तहसीलदार

सिंगरौली के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया । प्रकरण दर्ज किया गया एवं दिनांक 29.10.2001 को नायब तहसीलदार सिंगरौली द्वारा खसरा क्रमांक 227 रकबा 0.41 है0 पर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । जिसके विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष प्रथम अपील पेश की जो प्रकरण क्रमांक 26/अपील/2001–02 में पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 28.10.2002 से स्वीकार कर ली गई। उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष स्थंगन आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण क्रमांक 278/अपील/2002–03 दर्ज किया जाकर, आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 30.07.2003 को स्थंगन का आवेदन–पत्र अन्य किया गया । आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 30.07.2003 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि, अपर आयुक्त के रिक्त पद होने की स्थिति में प्रकरण की सुनवाई आयुक्त रीवा द्वारा की गई । आवेदक ने स्थंगन आवेदन–पत्र के साथ स्वयं का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विचार ही नहीं किया और स्थंगन आवेदन–पत्र को आधारहीन मानते हुये निरस्त कर दिया । स्थंगन का बिन्दु स्वविवेकाधीन होता है जिस पर पीठासीन अधिकारी को अपने विवके का उचित ढंग से प्रयोग करते हुये आदेश पारित करना चाहिये। अतः आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी एवं स्थंगन का आवेदन स्वीकार कर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30.07.2003 निरस्त किया जावे ।

4/ सूचना उपरांत अनावेदक अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि स्थित मौजा सखोंहां वर्ममा ख0 क्र0 227 रकबा 0.41 है0 पर आवेदक का काबिज दखिल एवं आबाद है, जो कि पुस्तैनी कब्जा दखल चला आ रहा है । मौके से जांच किया जाकर नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त अमिलिया, तहसील सिंगरौली जिला–सीधी द्वारा प्रार्थी/आवेदक का नाम काबिजदार

अंकित किये जाने हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया गया, जिसे प्रथम अपील न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने पर द्वितीय अपील आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा स्थंगन हेतु दिनांक 18.07.03 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं आवेदन के समर्थन में दस्तावेज मय शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया । जिस पर अपर आयुक्त रीवा के प्रवास होने की स्थिति में आयुक्त रीवा के समक्ष प्रकरण पेश किया, जिस पर आयुक्त रीवा द्वारा स्थंगन हेतु पर्याप्त आधार न मानते हुये स्थंगन निरस्त किया गया।

6/ भूमिस्वामियों की भूमि पर अन्य व्यक्ति के कब्जे का खसरे में इन्द्राज करने विषयक परिपत्र जारी किया गया है । उक्त परिपत्र में यह उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश भू–अभिलेख नियमावली भाग 1 के अध्याय 5 की कंडिका 5 में दिये निर्देश के आधार पर पटवारियों के दुबारा गिरदावरी के सयम खसरे पाना भी 12 में यदि भूमि स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो यह लिख दिया जाता है । इस बारे में संभवतः भूमिसवामी को यह शिकायत रहती है कि उसे बिना बताए ही दूसरे व्यक्ति का कब्जा उसको भूमि के सामने अंकित कर दिया गया है । यह भी देखा गया है कि कब्जे के बारे में मत प्रविष्ट किए जाने के कारण कृषकों को अकारण मृद्द से बाजी में फॅसना पड़ता है । कभी–कभी समय पर जानकारी न होने के कारण उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है । उपर्युक्त स्थिति के प्रयास में शासन ने पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि म0प्र0 भू–अभिलेख नियमावली भाग 1 के अध्याय 5 में खसरे के खाना क्रमांक 12 में कब्जे के बारे में प्रविष्टि करने के संबंध में संशोधन किया जाये । तद्नुसार निम्न संशोधन किया जाता है जो कि उक्त अध्याय की कंडिका 6 के बाद 6"अ" के रूप में जोड़ा जाये। खसरा में कब्जा लिखने की प्रक्रिया:– " कंडिका 6–अ– ज्य ही पटवारी भूमिस्वामी को भूमि में किसी अन्य के कब्जे को देखेगा, वह ऐसे कब्जे की सूचना भूमिस्वामी और यदि संयुक्त खाता हो तो किसी हिस्सेदार को एक सप्ताह के अन्दर लिखित में देगा और उसकी/उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा । इस प्रकार पाए गये कब्जे की ग्रामवार सूची तैयार करेगा और खसरे की नकल के साथ गिरदावरी कर लेने के पश्चात 15 दिन के अन्दर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीलदार को प्रेषित करेगा। तहसीलदार ऐसी सूचियां प्राप्त होने पर ग्रामवार अलग–अलग धारा 113 म0प्र0

भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्ररकण क्रमांक पंजीयन करेगा । यह भूमिस्वामियों को आहूत करेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो सरसरी जांच भी करेगा । इस प्रकारण प्रकरण सुनिश्चित कर लेने पर अभिप्रमाणित करेगा और अन्य स्थिति में अपनी जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टियां की हैं तो वह उन्हें अभिप्रमाणित करेगा और अन्य स्थिति में अपनी जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टि में अपने हस्ताक्षर के अधीन परिवर्तन करेगा । ऐसे सभी प्रकरण यथा शीघ्र एवं अनिवार्य रूप से अगले कृषि वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व निपटा दिए जायेगें । उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा । सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खसरे के खाना क्रमांक 12 में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया का अनुसरण तुरंत करने की कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया जाये ।

5/ इस प्रकार शासन द्वारा किसी भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य व्यक्ति की कब्जे करने की पूरी प्रक्रिया से वर्णित है, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में उक्त शासन के निर्देश के अनुरूप भी कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता। अतएव यदि मात्र कब्जे को दर्ज करने की कार्यवाही किया जाना है तो उक्त परिपत्र के प्रकाश में ही कार्यवाही की जा सकती है और यदि रजिस्ट्रड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराये जाना अपेक्षित हो तो संबंधित पक्षकार तदानुसार नामांतरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त व्याख्या के आलोक में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.